पत्रांक– मं० मं०– 01/आर–14/08 1354

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 27/9/2013

विषय – मंत्रिपरिषद् की बैठकों में विचारार्थ/अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराए जानेवाले संलेखों (Cabinet Notes) के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मंत्रिपरिषद् की बैठकों में विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ उपस्थापित किए जाने वाले संलेखों (Cabinet Notes) को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध कराने के समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है –

1. संलेख प्रस्ताव के साथ किसी भी संचिका की टिप्पणी पृष्ठ की छायाप्रति अथवा मूल प्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न नहीं की जाय।
2. संलेख प्रस्ताव एवं संलग्न सभी अनुलग्नको में पृष्ठ सं० अंकित की जाए।
3. आवश्यकतानुसार टिप्पणी पृष्ठ पर दिए गए आदेश/स्वीकृति का उल्लेख संलेख में किया जाए। निर्गत आदेश पत्र/अधिसूचना आदि को संलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाए।
4. उपर्युक्त के अलावे कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट विभागों के नाम के अनुसार, विभाग के नाम लिखे जायँ। साथ ही यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि संलेख प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार तक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्राप्त करा दी जाय जिससे कि मंगलवार की बैठक में सम्मिलित किये जाने के पूर्व संलेख प्रस्ताव की जाँच एवं सम्यक् समीक्षा की जा सके।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/9
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– मं० मं०–01/आर–14/08 1354 पटना–15, दिनांक– 27 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदा० एवं उनके प्रधान आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/9